



SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); UC (Under Consideration); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&E (Tools & Equipment)							
Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft.	Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Approval by Sub-Committee of NCVT	Remarks	
		Instit.	Std. Comm.	DGET			
1. Seti Anusuya ITC, Village Medanicour, Post- Tarighat, Dist. Ghazipur, Uttar Pradesh  DGET-6/24/1/2010-TC (New Pvt.)	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-22/6/2009 w.e.f.Feb 2010	
	Electrician	2(1+1)	NR	NC	NC		
2. Sai Baba ITC, 189 New Azad Nagar Dehli, Suzanpur, Dist. Kanpur, Uttar Pradesh  DGET-6/24/2/2010-TC (New Pvt.)	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-2/9/2009 w.e.f.Feb 2010	
3. Shri Lalantlal Shrivastava (S.L.S.) Aadhogik Prashikshan Kendra, Bansdih, Dist. Ballia, Uttar Pradesh  DGET-6/24/3/2010-TC (New Pvt.)	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-19/11/2009 w.e.f.Feb 2010	
	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)		
4. K.K. ITC, Gular Road, Dist. Aligarh, Uttar Pradesh  DGET-6/24/06/2010-TC (New Pvt.)	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-16/9/2009 w.e.f.Feb 2010	
	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)		
5. J.P. Sharma ITC, Saredhi Jagner, Mai Saraswati, Kashtrigar, Dist. Agra, Uttar Pradesh  DGET-6/24/8/2010-TC (New Pvt.)	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-13/10/2009 w.e.f.Feb 2010	
	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)		



Note: - As per NCVT decision all the instructors must be trained within three years. The State Director/Commissioner/Pvt management are requested to sponsor 30% instructors every year for Training in Trainer Program (in any CTI module) of DGET field Institute.

<i>SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&amp;E (Tools &amp; Equipment)</i>						
Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft	Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Approval by Sub-Committee of NCVT	Remarks
		Inst.	Std. Comm.	DGET		
94 Jai Nand Private ITI, Mahmad Bhari Sarai Khargi Bikanpur Dist. Faizabad Uttar Pradesh DGET-6/24/262/2009-TC	Fitter	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-18/12/2010 w.e.f. Aug 2011
	Electrician	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	
95 Seth Ravi Vesh Tripathi Private ITI, Bara Stroni Kalyanpur, Dist. Kanpur Uttar Pradesh DGET-6/24/77/2011-TC (New Pvt.)	Welder	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-30/5/2011 w.e.f. Aug 2011
96 Shiv Baba Private ITI, Nasirpur, Hansrajpur Dist. Ghazipur Uttar Pradesh DGET-6/24/188/2010-TC	Fitter	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-10/5/2011 w.e.f. Aug 2011
	Electrician	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	
97 Satya Narayan Singh Private ITI, Vill. Gaur, Post. Mirzamurad, Dist. Varanasi Uttar Pradesh DGET-6/24/174/2010-TC	Fitter	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-19/5/2011 w.e.f. Aug 2011
	Electrician	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	
98 Shri Lallanlal Shrivastava(S.L.S) Audhogik Prashikshan Kendra Bansdih Dist. Ballia Uttar Pradesh DGET-6/24/3/2010-TC	Fitter	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-19/5/2011 w.e.f. Aug 2011
	Electrician	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	

पत्रक

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजना  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानमंत्री/प्रबन्धक,  
श्री जलसम्भाल श्रीमाला प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव प्रशिक्षण संस्थान,  
बनौली  
बलिया।

पत्रक  
दिनांक -

2462-3/2010/भा0न0नस्तुति

लखनऊ - दिनांक -

16/9/2011

स्वायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के अन्तर्गत पर गिरी जी0प्र0 केन्द्रों के आधार पर/गुणितों का स्वामी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय, सेवायोजना एवं प्रशिक्षण, जी0प्र0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

भावीय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केन्द्र की स्वायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19-05-2010 पर दिनांक 30-06-2011 को महानिदेशालय, सेवायोजना एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वारसामिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके सम्बन्धन से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय किया गया है उसका उद्धरण व्यवसायधर बोधे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकके जिनके लिए सम्बन्धन/केन्द्र द्वारा स्वायी समिति का अनुमति किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुमति
		स्वायी समिति द्वारा	जी0प्र0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. Of Units		Add. one unit Total 3(1+1+1)	DIR-19/05/11 w.e.f. Aug 2011
2-	Electrician Addl. Of Units		Add. one unit Total 3(1+1+1)	

DGET-6/24/3/2010-TC DATED 30/06/2011

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एकाई0बाई0बाय0-स्वायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
  - (2) एकाई0बाई0बाय0-पुरुष निरीक्षण रिपोर्ट
  - (3) जी0प्र0ई0टी0-द्वितीय निरीक्षण रिपोर्ट
  - (4) स्वायी-विचारधैन
  - (5) एकाई0बाय0-संस्तुति नहीं किया गया।
  - (6) एकाई0बाय0-विचार नहीं किया गया।
- आपकी अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतार्डे गये कर्षियों/पुटियों का नियन्त्रण समायोजित करके अपनी अन्वया बिन्दुवार तथ्य सञ्चित की प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलक्ष्य प्रेषित करें। यदि अधिक कार्यकारी की जायगी।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके सम्बन्धन से सम्बन्धित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रतिभागियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में स्मिताहित नहीं करवा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपको होगा।

भावीय



उत्तर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षा)  
सद्विनांकित

पत्रक 2462-3/2010/भा0न0नस्तुति/

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आश्चर्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/विद्युत्कारणशी) को इस अन्वय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित सम्बन्धन/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
- 2. संबंधित सम्बन्धन/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 3. मॉर्ट फाइल हेतु।
- 4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद्, आसीनज, लखनऊ।



उत्तर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षा)

प्रेषक

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संघ में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
श्री लक्ष्म लाल श्रीवास्तव (एसओएसएसओ) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,  
बॉसबीठ, बलिया।

पत्रांक

/टी-3/रापध/भा0स0सस्तुति

लखनऊ : दिनांक

15-4-2010

विषय:-

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में मध्य निदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, सी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति के निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19-11-2009 पर दिनांक 28-1-2010 को महानिदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति को बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उप निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक चिनकें लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	सी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1.	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-19/11/2009 w.e.f. Feb.2010
2.	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/3/2010 -TC      DATED 28/1/2010

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) सी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विद्यमान
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियाँ/युनिटों का निराकरण सम्बन्धित करके अपने आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलक्ष्य प्रेषित करें। ताकि अधिन कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपको संस्थान के यांचित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अग्रन्त व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(साहल देश)

अपर निदेशक (प्रति/शिक्ष)

तद्दिनांकित

पत्रांक 2439 /टी-3/रापध/भा0स0सस्तुति/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रति/शिक्ष) याचपत्री को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत भ्रष्टाचारी हेतु।
3. मार्ग फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

(साहल देश)  
अपर निदेशक (प्रति/शिक्ष)